

man so that the interests of the workers are also watched properly ?

MR. CHAIRMAN : It is a suggestion for consideration. Next question.

**हिन्दी साहित्यकार की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक-टिकट**

\*93. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सदस्यों ने उनसे एक पत्र में हिन्दी के उद्भट विद्वान् साहित्याचार्य पंडित पद्म सिंह शर्मा की जन्म शताब्दी के अवसर पर, जिसे 1977 के आरम्भ में देश भर में मनाया जायेगा, स्मारक डाक-टिकट जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है ?

**Commemorative Stamp on the birth centenary of a Hindi literature**

\*93. SHRI PRAKASH VEER SHASTRI : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament have sent a communication to him requesting for the issue of a Commemorative stamp on the occasion of the birth centenary of the eminent Hindi scholar Sahityacharya Pandit Padam Singh Sharma which will be celebrated throughout the country early in 1977 ; and

(b) if so, by when a decision is likely to be taken in the matter ?]

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे प्रस्तावों पर फिलाटली सलाहकार समिति विचार करती है। यह प्रस्ताव समिति की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JAGANNATH PAHADIA) : (a) Yes, Sir.

(b) Such proposals are considered by the Philatelic Advisory Committee. This will be placed before the Committee at its next meeting.]

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मान्यवर, सामान्यतः इस बात को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये कि 1947 से पहले इस देश में दो राष्ट्रीय संगठन थे जिन की राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता था वे हैं—राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस और हिन्दी साहित्य सम्मेलन। इन दोनों के जो अधिवेशन हुए वे राष्ट्रीय स्तर के अधिवेशन माने जाते रहे। जो इन सम्मेलनों के अध्यक्ष रह चुके हैं जिनकी शताब्दियां पूर्ण हो रही हैं, उनका डाक-टिकट निकालने के लिये सलाहकार समिति के पास विचारार्थ है। मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय सिद्धांत रूप में यह स्वीकार क्यों नहीं कर लेता कि जो राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं उनका डाक-टिकट बिना कमेटी के पास भेजे, जारी कर दिया जाए ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह भी एक सिद्धांत स्वीकार किया हुआ है। कमेटी बनी हुई है। मैंने निवेदन किया कि कमेटी की जो अगली बैठक होगी उसमें इस पर विचार किया जाएगा। मैं यह भी स्पष्ट कर दूँ कि यह सलाहकार समिति है और सरकार इसके ऊपर है। सरकार स्वयं भी फैसला कर सकती है। शास्त्री जी के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह मेरा ही प्रस्ताव नहीं है, लोक सभा और राज्य सभा के अधिकांश सदस्यों का भेजा हुआ प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो सलाहकार समिति है यह कब बनी और इसके सदस्य कौन-कौन हैं ? क्या इस समिति में ऐसे सदस्य भी हैं जिनको, जो राष्ट्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक जीवन में उच्च स्तर के व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में जानकारी है, ताकि उनके बारे में निर्णय ले सकें ?

[ ] English translation.

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** कोशिश यह की जाती है कि जीवन के हर क्षेत्र को इस कमेटी में रिप्रेजेंट किया जाए। इसमें संसद के भी चार सदस्य हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री मुहम्मद जमीलुर्हमान, श्री सी० सी० गोहीन, श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी, श्री ए० के० अब्दुल समद। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि डाक-टिकटों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो अच्छे कलाकार माने जाते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि देश की सामान्य हालत को देखते हुए हमें सलाह दे सकते हैं, शामिल किया जाता है। इस में इस प्रकार के 26 सदस्य हुआ करते हैं। यह कमेटी बनती ही रहती है। इसकी टर्म इस साल पूरी होने जा रही है और दूसरी कमेटी शीघ्र ही नियुक्त की जाएगी।

**श्री सवाई सिंह सिसोदिया :** स्मारिका डाक-टिकट के महत्व और जनता की रुचि को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में और स्पष्टीकरण जानना चाहता हूँ। क्या केन्द्रीय शासन ने और आपके विभाग ने इस बारे में कोई नीति निर्धारित की है कि देश की कौन सी महान विभूतियों और किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले पुरुषों के बारे में डाक-टिकट निकालने जाएंगे? दूसरे यह कि एक वर्ष में कितने डाक-टिकट स्मारिका निकालने के बारे में आपका संकल्प है? यह जो सलाहकार समिति है इसको क्या आपने किसी प्रकार का विशेष रूप से निर्देश दिया हुआ है कि ऐसे-ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जाए? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसा भी कोई निर्देश दिया हुआ है कि एक वर्ष में इतने व्यक्तियों पर निर्णय किया जाए? अगर आप इनका उत्तर दे देंगे तो जो लोगों की रुचि है उसका समाधान हो जाएगा और उनका मार्ग-दर्शन हो जाएगा।

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** श्रीमन्, आमतौर पर हम 28-30 टिकट एक साल में निकालते हैं। कोशिश यह की जाती है कि 6 के लगभग ऐसे व्यक्ति हों जिनको किसी न किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त हो, क्या 'पुस्तक' हो, देश की सेवा

की हो। उनमें एक-दो ज्यादा भी हो जाते हैं जब माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों का जोर पड़ जाता है। यह सलाहकार समिति इसी-लिए बनी हुई है ताकि जो साहित्य में, कला में और किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हों, या देशभक्त हों वे छूट न जाएं।

**श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की यह नीति है कि जब उनके पास किसी महान पुरुष का डाक-टिकट निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र आए या कोई सूचना आए तब सलाहकार समिति में विचार हो? अगर ऐसा नहीं है तो क्या सरकार अपने आप ही महान पुरुषों के बारे में निर्णय करती है? मैं यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्र भाषा हिन्दी को प्रोत्साहन देने वाले जितने महान पुरुष हो चुके हैं उनमें से कितनों के डाक-टिकट निकालने का आपने निर्णय लिया है? यदि नहीं लिया है तो इसके क्या कारण हैं?

**श्री जगन्नाथ पहाड़िया :** श्रीमन्, इस संबंध में आम तौर पर विभिन्न संस्थाओं, संसद्-सदस्यों, व्यक्तियों, राज्य सरकारों और अन्य इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोगों से सुझाव आते हैं और सरकार उन सुझावों पर विचार करती है। सरकार पर भी इस संबंध में कोई पाबन्दी नहीं है। वह भी समय-समय पर इस प्रकार के स्मारक डाक टिकट निकालने के बारे में सोचती रहती है। सरकार की यह कोशिश रहती है कि इस प्रकार के स्मारक डाक टिकट निकाले जायें। जैसा मैंने कहा, इस संबंध में जो समिति गठित की गई है वह भी इस प्रकार के डाक टिकट निकालने के बारे में सरकार से अनुरोध करती है। सरकार के सामने इस प्रकार के जो सुझाव आते हैं सरकार उन पर विचार करती है। कई बार स्वयं सरकार भी प्रस्ताव लाती है।

दूसरी बात जो आपने साहित्यकारों के बारे में कही है, इस संबंध में स्थिति यह है कि अब तक 160 इस प्रकार के डाक टिकट निकाले जा चुके हैं। जो स्मारक डाक टिकट निकाले गये

है उनमें अगर मैं विद्वानों के नाम गिनाऊं तो यह एक बहुत लम्बी लिस्ट होगी। लेकिन लगभग एक चौथाई ऐसे स्मारक डाक टिकट होंगे जो साहित्यकारों से संबंध रखते हैं और जिस तरह के डाक टिकट आप निकलवाना चाहते हैं।

डा० शंकर दयाल शर्मा : श्रीमन् मैं, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूँ कि इस साल हिन्दी के कुछ विद्वानों के स्मारक डाक टिकट निकाले जा रहे हैं। उनके नाम हैं— श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्री सूर्यकान्त 'निराला' त्रिपाठी, श्री होरा लाल शास्त्री, श्री हरिसिंह गौड़।

SHRI BHUPESH GUPTA : We are still not very clear about the policy. A very right decision has been taken for issuing commemorative stamps in some cases. Once I made a request that a commemorative stamp should be issued in the name of Jatin Mukherji known as Bagh Jatin which was issued. I suggested the name of Surya Sen who was connected with the Chittagong Armoury raid and whose statue has\* now been installed before the Calcutta High Court. Nothing has been recently done. Why I do not know. I also suggested the name of Troilokya Nath Chakravarty, an outstanding revolutionary of the old undivided Bengal, who came here and addressed the Members of Parliament in the Central Hall. The Prime Minister herself was good enough to receive him. It was a very touching reception. I was present there. I do not know as to why these stamps are not being issued. Also, I would like to know why the Government is not issuing a commemorative stamp in the memory of Rahul Sankrityayan, an outstanding man of culture and literature of the whole country. Is it because of some political reasons or is it because of some other reasons? This case is eminently fit for issuing a commemorative stamp. Therefore, Sir, I suggest three names. Would the Government consider the advisability of immediately including these names for issuing commemorative stamps? These names are : Rahul Sankrityayan, Surya Sen and Troilokya Nath Chakravarty.

DR. SHANKER DAYAL SHARMA : I Sir, in a country like India which had a galaxy of literary men and people who have sacrificed themselves for the cause of the country, the number is very large. In order that there may not be any political consideration intervening, the Government has appointed a committee. The committee decides about the names. As has been pointed out by my colleague, Mr. Pahadia, the general practice is not to issue more than six or seven stamps in one year in memory of well-known personalities. So, the committee has itself worked out certain formulae. Those formulae are that normally we issue these stamps on the first death anniversary or the tenth death anniversary or the centenary of birth or death of the person concerned or the event concerned. These are some of the broad guidelines which have been formulated. We have to issue so many stamps. But, of course, it will have to be year after year. I would like my friend to bear with us. The country is continuing and we will have more stamps. There will be 1977 series, 1978 series, 1979 series and so on. So, the fact that we have not been able to issue a stamp in the memory of a particular person in a particular year does not mean that we do not hold that person or persons in high esteem.

SHRI BHUPESH GUPTA : I have given these three names which are very well known to you. It is not a question of other names. I will die some day and Mr. Yogendra Sharma will not come here to ask for a commemorative stamp in my memory. May be, the Lt. Governor of Delhi would be commemorated when he is no more! I should like to know whether these names of Rahul Sankrityayan, Surya Sen and Troilokya Nath Chakravarty are big names in our national history or not. Sir, Troilokya Nath Chakravarty, as I have said, came to this country and was given such a rousing reception by the Members of Parliament and I saw Members of Parliament going to him and touching his feet. A dinner was given on the 8th of August by Mr. Surendra Mohan Ghosh, the ex-Deputy Leader of this House, who is still!

ill. I was present there. The Prime Minister was present. He died here. And I was deeply moved when the Prime Minister herself came and put her shoulder to the thing that was carrying the dead body. Such was the man. Therefore, I ask you whether you would consider the advisability of issuing stamps in the name of these three people I mentioned. Everybody has to die and every year is an year of anniversary except for people like Morai-ji Desai whose birthday comes only once in four years. Most others, I think, are not leap-year men. Every year you get a chance. Why don't you issue them?

DR. SHANKER DAYAL SHARMA : I have already said that we will consider it.

MR. CHAIRMAN : He said that he would consider it. Again, this question pertains to Pandit Padam Singh Sharma.

श्री सीताराम केसरी : मेरा कहना है कि दिनकर जी का नाम भी आना चाहिए।

श्री श्रीकान्त : सन् 1973 में संचार मंत्रालय ने यह फैसला लिया था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की स्मृति पर भी डाक-टिकट निकालेंगे। यह टिकट 1974 में निकाला जाएगा इसकी घोषणा लोक सभा में की गई थी। लेकिन 1974 में यह नहीं निकाला गया और अब मंत्री महोदय ने ऐलान किया है कि यह 1976 में निकाला जाएगा। तो क्या यह माना जाए कि यह बचन सचमुच पूरा होगा?

And, Sir, I entirely agree with the suggestion of Shri Bhupesh Gupta that. . .

MR. CHAIRMAN : He has already replied and, therefore, there is no supplementary.

श्री सुरशिव अलम खान : क्या मिनिस्टर साहब से मैं पूछ सकता हूँ कि दिल्ली में हकीम अजमल खाँ जैसी हस्ती हुई है जो कि मसीह-उल-हक कहलाते थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी

रहे, क्या उनके बारे में कोई स्टैम्प उन्होंने निकाला, और निकाला था तो कब निकाला और नहीं निकाला, तो क्यों नहीं निकाला और कब निकालेंगे?

डा० शंकर दयाल शर्मा : इस पर भी और किया जाएगा।

94. [The questioners (Shri Bhola Prasad and Shri Kalyan Roy) were absent. For answer vide col. 33. infra].

#### Outstanding loans against D.T.C.

\*95. SHRI JAGDISH JOSHI<sup>1</sup>:  
SHRI IBRAHIM KALANIYA :  
SHRI KHURSHED ALAM KHAN:

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large sum of Government loans is outstanding against the Delhi Transport Corporation ;

(b) whether the Corporation has been paying the loan instalments with interest regularly to the Government; and

(c) if not, what action Government propose to take to recover the loan and interest accrued thereon from the Corporation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI DALBIR SINGH I : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) As a result of the various measures taken by the Corporation to reduce the gap between its income and expense such as introduction of the two-stage fare system, intensification of checking of ticketless travel, improvement in the facilities for maintenance and repairs of vehicle-, etc., it is expected that its working loss will get reduced to about Rs. 381 lakhs during

<sup>1</sup>The question was actually asked on the floor of the House by Shri Jagdish Joshi.